II नीतिगत पहलें

वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव से आर्थिक गतिविधि में आई मंदी की पृष्ठभूमि में राज्य सरकारों ने 2009-10 के अपने बजटों में बहुत सी नीतिगत पहलों की घोषणा की है। औद्योगिक बुनियादी ढांचे में सुधार के अर्थ में उद्यमियों को और अधिक अवसर सृजित करने/सहायता देने को प्राथमिकता प्रदान करने के अलावा रोजगार सृजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की पुनर्रचना और कर छूट/कटौती पर जोर दिया गया है। वर्तमान कठिन परिस्थितियों से पार पाने के लिए संघ सरकार द्वारा राज्यों को राजकोषीय घाटे की उच्चतम सीमा बढ़ाने की अनुमति दिए जाने के साथ ही राज्य विकास हेतु पूंजी निवेश करने के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश का उपयोग कर सकते हैं। राज्य सरकारों, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी अनेक नीतिगत उपायों की घोषणा की है, जैसे कि सिंचाई, आवास और बुनियादी ढांचा जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए उच्चतर आबंटन, वेतन आयोग अवार्ड जारी करना, राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की नीलामी में गैर प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की शुरुआत और एसडीएल के निर्गम में निहित डेरिवेटिव विकल्प, जिनका राज्य वित्त पर असर पड़ेगा।

1. प्रस्तावना

2.1 आर्थिक बहाली पर फोकस के साथ 2009-10 के लिए राज्य बजटों ने अनेक नीतिगत पहलों की घोषणाएं की हैं, जिनका लक्ष्य व्यय को कल्याण एवं विकासात्मक गतिविधियों की दिशा में ले जाना है। कराधान के मोर्चे पर इन उपायों में कतिपय वस्तुओं पर मूल्ययोजित कर (वैट) और उत्पाद शुल्कों में छूट/कटौती शामिल हैं, तथा व्यय पक्ष की ओर विभिन्न कल्याण योजनाओं/बुनियादी ढांचा हेतु अधिक आबंटन और वेतन आयोग के अवार्ड जारी करने का प्रस्ताव है। बहुत से राज्यों ने घोषणा की है कि वे सिंचाई, आवास तथा बिजली पैदा करने, अच्छा सड़क नेटवर्क, हवाई अड्डा और औद्योगिक पार्क जैसे अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपने निवेश बढ़ाएंगे। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि औद्योगिक क्षेत्र को स्फूर्त और वृद्धिशील रहना चाहिए, राज्य भी सरकारी-निजी साझेदारी (पीपीपी) पद्धति के माध्यम से बुनियादी ढांचा के सृजन के लिए निजी निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य-वार विस्तृत नीतिगत पहलें अनुबंध में दी गई हैं। इस अध्याय में उन नीतिगत पहलों और योजनाओं पर संक्षिप्त चर्चा की गई है जो राज्य सरकारों, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित की गई हैं।

2. राज्य सरकारें

2.2 2009-10 के लिए राज्य बजटों में घोषित प्रस्ताव / पहलों में राजस्व वृद्धि, व्यय उपाय, संस्थागत उपाय और अन्य प्रमुख नीतिगत पहलों जैसे क्षेत्र कवर किए गए हैं।

राजस्व उपाय

2.3 आर्थिक गतिविधि में समग्र मंदी का राज्यों की समग्र राजस्व वृद्धि पर उनके अपने कर राजस्वों तथा केंद्र से होनेवाले न्यागमन (डिवोल्यूशन) दोनों ही रूपों में विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए, अधिकांश राज्यों ने राज्य स्तर पर राजस्व सृजन को सुचारु बनाने के लिए सक्रिय उपाय किए हैं तथा सामान्य रूप से प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया गया है। इन सरलीकृत प्रक्रियाओं में नियम, निरीक्षण, पंजीकरण तथा उद्योगों और कारोबारों के परिचालन के लिए एकल खिड़की अनुमोदन प्रणाली की शुरुआत (आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र) शामिल हैं। कराधान संबंधी राजकोषीय उत्प्रेरणापरक उपायों के एक अंग के रूप में, राज्यों ने शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और संपत्ति की बिक्री पर स्टाम्प शुल्क की दर कम कर दी है (हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और केरल)। कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अधिकांश राज्य सरकारों ने बहुत सी मदों पर वैट घटा दिया है। कर अनुपालन बढ़ाने के अलावा किए गए अन्य उपायों में शीघ्र वैट वापसी, व्यवसाय कर की वसूली, वैट के अंतर्गत लगाए जानेवाले दंड में कमी, वैट के अंतर्गत होटल डीलरों को राहत, खाद्यान्नों पर छूट में विस्तार तथा गोवा, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और कर्नाटक में विलासिता कर में कमी / युक्तियुक्तकरण शामिल हैं। इसके अलावा सेवाओं की गुणवत्ता सुचारु एवं बेहतर बनाने के लिए, बिक्री कर विभागों की विवरणियों की पूर्ण ई-फाइलिंग / कंप्यूटरीकरण केरल और उत्तराखंड में

कार्यान्वित किया गया है। इन राजकोषीय उत्प्रेरणा पैकेजों के अंतर्गत कर में कटौती / छूट के माध्यम से होनेवाली राजस्व हानि को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं : (i) केरल में स्टांप ड्यूटी के संबंध में लंबित अवर-मूल्यांकन के लिए कर बकायों के 'एकबारगी निपटान' की एक नई योजना; (ii) केरल के छोटे व्यापारियों को शामिल करने के लिए कर के दायरे को बढ़ाना और (iii) नागालैंड में जल आपूर्ति मीटरों की संस्थापना। दबाए गए टर्नओवर को बताने और उस पर कर अदा करने के लिए, केरल में 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना' भी घोषित की गई है। पंजाब सरकार ने भी एक व्यापक नीति तैयार की है, जिसके अंतर्गत अत्याधुनिक शहरी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त राजस्व जुटाने हेतु बाह्य विकास प्रभार (ईडीसी), लाइसेंस/ अनुमति शुल्क निर्धारित किया गया है और भूमि उपयोग परिर्वतन (सीएलयू) प्रभार लगाए गए हैं। दिल्ली में, उत्पाद शुल्क ढांचे के सुधार हेतु एक प्रमुख पहल की गई थी। तदनुसार एक नया विधेयक लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत सरलीकृत शुल्क ढांचा शामिल होगा।

व्यय उपाय

2.4 आर्थिक गतिविधियों में मंदी के परिप्रेक्ष्य में बहुत से राज्यों ने राजकोषीय उत्प्रेरणा पैकेज प्रारंभ किए हैं ताकि अर्थव्यवस्था चलती रहे और विकास एवं कल्याण कार्यक्रम जारी रहें। इस संदर्भ में, केंद्र सरकार ने राज्यों को 2009-10 के दौरान सकल राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाकर जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक ले जाने की अनुमति दी है ताकि वृद्धि की प्रक्रिया को बहाल करने के लिए अधिक निधियां उपलब्ध कराई जा सकें।

2.5 कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है तथा इस क्षेत्र को अनेक प्रोत्साहन, अवलेखन और रियायतें, आर्गनिक खेती के लिए समर्थन और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करायी गई है (आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल)। पहलें सिंचाई परियोजनाओं, विशेष रूप से, लघु सिंचाई (मेघालय) तथा उर्वरक, बीज और कीटनाशक रियायती दरों पर देने (उड़ीसा) पर केंद्रित हैं। अन्य पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं - फसलों के लिए बीमा योजनाएं (हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु), तमिलनाडु में 'कृषि क्लिनिक' की स्थापना, 'आदर्श गांव' के रूप में एक गांव को अपनाना, असम में सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्था के तहत कृषि-हब एवं कृषि प्रसंस्करण अंचल विकसित करना, पश्चिम बंगाल में 'बॉयो-गांव', मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष कंप्यूटर कनेक्टिविटी प्रदान करना तथा 'कृषि ज्ञान केंद्र' स्थापित करना, महाराष्ट्र में किसानों के लिए ऋण राहत योजना तथा कुछ राज्यों में किसानों के लिए मुफ्त बिजली। कुछ अन्य उपायों में डेरी विकास तथा दुग्ध उत्पादन (त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी) तथा 'भूमि बैंक' की एक नई योजना, जिसमें बाजार मूल्य पर किसानों से खरीदी हुई जमीन पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उपयोग के लिए दुबारा बेची जाती है, शामिल हैं।

2.6 इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि औद्योगिक क्षेत्र को स्फूर्त एवं वृद्धिशील बने रहना है, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुँच वाली भूमि के बड़े पूल की पहचान की जाए, विशेष आर्थिक अंचल (एसईजेड) एवं औद्योगिक इस्टेट बनाए जाएं तथा इन्हें कई राज्यों में सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से उद्योग के विकास के लिए उपलब्ध कराया जाए। लगभग सभी राज्यों में अपने समग्र बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के लिए नीतिगत उपायों की घोषणा की है तथा पश्चिम बंगाल एवं पंजाब ने लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता प्रदान की है ताकि परंपरागत उद्योगों के साथ नई लघु उद्योग इकाइयां विकसित की जा सकें। कुछ राज्यों ने 'नई औद्योगिक नीति' का प्रस्ताव किया है (राजस्थान) जब कि अन्य राज्य (मेघालय) इस प्रक्रिया में है, चुनिंदा स्थानों पर औद्योगिक मॉडल शहर (हरियाणा) तथा 'औद्योगिक हब' बनाये जा रहे हैं। अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ राज्य अर्थात महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मिजोरम बिजली उत्पादन पर (सार्वजनिक निजी साझेदारी के जरिए) ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

2.7 कई राज्यों ने शिक्षा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा विकलांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं शुरू की हैं। विभिन्न राज्यों ने शैक्षणिक सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए उपायों की घोषणा की है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं - मध्यान्तर भोजन कार्यक्रम तथा उसके साथ अतिरिक्त सुविधाएं यथा प्राथमिक शिक्षा स्तर के बाद भोजन प्रदान करना, अधिक पोषक खाद्य मदों सहित पुस्तकों का वितरण, बच्चों तथा माताओं के लिए पथ्य मुद्रा (पंजाब), सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में व्यापक कंप्यूटर शिक्षा / ब्राड

बैंड कनेक्टिविटी और कंप्यूटर लैब (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश) तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी माध्यम से व्यावसायिक मेडिकल एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के मौजूदा बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना और नये महाविद्यालय स्थापित करना। सामाजिक बदलाव एवं सशक्तीकरण के लिए, शिक्षा के प्रति समतापूर्ण अभिगम सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित मातापिता के बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं चला कर उन्हें मुफ्त शिक्षा एवं सहायक वस्तुएं और उनके मातापिता को वित्तीय मानदेय प्रदान किया जाता है (एनसीटी दिल्ली, हरियाणा, पुदुचेरी और बिहार) तथा विद्यालयों से निकले बच्चों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए, विभिन्न प्रस्तावों की घोषणा की गयी है, जिनमें शामिल हैं - विकासात्मक कार्यकलाप के लिए अनुसूचित जाति घटक योजना एवं जनजातीय उप-योजना के तहत बढ़ाई गयी निधियां (असम) तथा सभी पात्र अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग (ए श्रेणी) एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना नामक एक नई योजना के तहत निःशुल्क रियायती प्लाट का आबंटन (हरियाणा)।

2.8 रियायती ब्याज दरों पर ऋण, आवास संबंधी प्लाट, वित्तीय सहायता एवं भवन निर्माण सामग्री, पुराने मकानों की मरम्मत/ पुनर्नवीकरण जैसी योजनाओं के साथ आवास को भी उच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई है (पुदुचेरी, केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा)। स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, तमिलनाडु तथा कर्नाटक ने स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, चिकित्सा शिविरों और सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव किया है। शहरी जनता को न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए, कई राज्यों ने जल आपूर्ति, मल-निर्यास, परिवहन, समन्वित आवास एवं 'सॉलिड वेस्ट' प्रबंधन पर विशेष बल दिया है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते हुए महत्व को स्वीकार करते हुए, विभिन्न राज्य सरकारों ने इस क्षेत्र में भी कई पहलें की हैं (बाक्स II.1)।

2.9 राज्यों द्वारा महिला सशक्तीकरण पर बल दिया जाना जारी है। महिला सशक्तीकरण संबंधी उपायों में केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, असम, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में बहुत कम ब्याज दरों पर महिला उद्यमियों को प्रत्यक्ष ऋण के साथ बच्चियों एवं महिलाओं पर केंद्रित कई अन्य नवोन्मेषी विकासात्मक एवं कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं। कई राज्य सरकारें स्वयं सहायता समूहों को 'सॉफ्ट' ऋण (त्रिपुरा) तथा महिलाओं के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण संस्थानों (मेघालय) जैसी योजनाओं के साथ महिलाओं के तीव्रतर सशक्तीकरण के साधन के रूप में 'महिला स्वयं सहायता समूहों' को प्रोत्साहित करती हैं।

संस्थागत उपाय और अन्य प्रमुख नीतिगत पहल

2.10 राज्य सरकारों ने राजकोषीय अनुशासन के प्रति उन्मुख संस्थागत उपाय अपनाए हैं। इस प्रकार राज्यों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व कानूनों, मूल्ययोजित कर (वैट), नई पेंशन योजनाओं, समेकित ऋणशोधन निधि तथा गारंटी मोचन निधि जैसे विभिन्न राजकोषीय मानकों के संबंध में क्रमिक रूप से कानून बनाये हैं। जहाँ तक वैट के कार्यान्वयन का संबंध है अब तक हुई प्रगति काफी उत्साहवर्धक है क्योंकि सभी राज्यों ने वैट लागू कर दिया है जब कि छब्बीस राज्यों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व संबंधी कानून बनाये हैं। अन्य संकेतकों से संबंधित स्थिति सारणी II.1 में दी गई है।

2.11 कई राज्य सरकारों ने कार्यबल तथा समितियां / आयोग गठित करने के रूप में कई पहलें की हैं। असम ने बाढ़ रोकने तथा भूमि के क्षरण और भूमि के उद्धार के लिए सुझाव देने हेतु जल संसाधन प्रबंधन आयोग गठित करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा दो विकास परिषद, महिला तथा युवा वर्ग के लिए एक-एक, गठित करने का प्रस्ताव है, एक महिला उद्यमी परिषद का भी गठन किया जा रहा है ताकि महिला उद्यमियों का संवर्धन किया जा सके। बच्चों के कल्याण तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, असम में विद्यालयीन शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए रूपरेखा तैयार करने एवं नीतियों के संबंध में सुझाव देने हेतु राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित किया जा रहा है। समग्र शिक्षा नीति के बारे में असम सरकार को परामर्श देने के लिए ज्ञान आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। हरियाणा में अभिसरण के संवर्धन के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य और सफाई समिति नामक एक सामान्य समिति गठित की गई है तथा यह भी प्रस्ताव है की राज्य में अनेक कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। जम्मू तथा काश्मीर सरकार एक बहु कार्यदल गठित कर रही है, जिसमें शहतूत पालन, रेशम उत्पादन, बुनायी और रेशम उद्योग के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन करने के लिए सभी सुसंगत

बॉक्स II.1: मौसम में बदलाव और राज्य स्तर पर की गयी पहलें

कुछ वर्षों से वैश्विक तापमान में वृद्धि चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। मौसम में बदलाव मूल रूप से वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के संचय का परिणाम है। मौसम में बदलाव से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय पहलों की एक श्रृंखला रही है जिसमें यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी), 1992 और 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा शामिल किए गए उन 27 देशों में भारत भी शामिल है जो कि समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। तदनुसार, भारत ने कानूनी और संस्थागत व्यवस्थाओं का एक विशद ढांचा बनाया है और वह एक ऐसी अग्रणी उभरती बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) है जिसने अपने संविधान में पर्यावरण सुरक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान किये हैं। प्रधान मंत्री ने 30 जून 2008 को मौसम में बदलाव संबंधी भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी की थी। इसमें प्राथमिकतावाले 8 राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिनमें सौर ऊर्जा, बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता, धारणीय निवास, जल संरक्षण, हिमालय क्षेत्र की इको-प्रणाली को बनाये रखना, एक 'हरित भारत', धारणीय कृषि और मौसम में बदलाव के लिए रणनीतिक जानकारी मंच शामिल हैं।

हाल के वर्षों में, संघ सरकार द्वारा की गयी पहलों के अलावा, राज्य सरकारों के बीच मौसम में बदलाव, वैश्विक तापमान में वृद्धि और जंगलों की कटाई के दुष्प्रभावों के संबंध में सामान्यतः काफी जागरूकता है। तदनुसार, लगभग सभी राज्य सरकारों ने मौसम में बदलाव के दुष्प्रभावों को कम करने तथा और फिर से बनाने योग्य ऊर्जा तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की दिशा में कुछ उपाय किये हैं। वास्तव में, सामान्य संदर्भाधीन विषयों के अलावा, तेरहवां वित्त आयोग अन्य बातों के साथ-साथ धारणीय विकास के अनुरूप पारिस्थितिकी, पर्यावरण और बदले हुए मौसम के प्रबंधन की आवश्यकता पर भी विचार करेगा।

बहुत-सी राज्य सरकारें सामान्यतः वायु और जलप्रदूषण, ठोस कचरा और मल-निःसारण प्रबंधन, सड़कों में मलबा निपटान और जल विद्युत निर्माण, अपशिष्ट कचरे को पुनः उपयोग में लाने और अस्पताल से निकलने वाले कचरे से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं को दूर कर रही हैं। गुजरात पर्यावरण पर ध्यान देनेवाले अग्रणी राज्यों में से एक राज्य है। जब देश में मैंग्रोव के अंतर्गत आनेवाला क्षेत्र घटने लगा है तब गुजरात में पीपीपी पद्धति के माध्यम से 935 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव का वृक्षारोपण किया गया है जोकि देश में दूसरा सबसे बड़ा वृक्षारोपण है। गुजरात 2008-09 के दौरान कार्बन क्रेडिट पानेवाले अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बन गया है। पर्यावरण के रखरखाव में बुनियादी सुविधाओं के प्रावधानवाले राज्यों में भी गुजरात अग्रणी राज्य है। इस राज्य ने अब तक लगभग 25 सामान्य औद्योगिक जल बहिर्वाह उपचार संयंत्र और लगभग 8 के आसपास 'तकनीकी रूप से सुरक्षित हेजार्ड डिस्पोजल साइटें' विकसित की है।

राजस्थान सरकार ने 2009-10 के अपने बजट में एक नई वन नीति, जल नीति और खनिज नीति घोषित की है। 2009-10 के पंजाब के बजट में वानिकी के लिए 55 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआइसी) समर्थित 262 करोड़ रुपए की वृक्षारोपण परियोजना चालू वर्ष में पूरी की जाएगी। तमिलनाडु में वन क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से जेबीआइसी से प्राप्त वित्तीय सहायता से 567 करोड़ रुपए की लागत पर तमिलनाडु वृक्षारोपण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत, 63 करोड़ रुपए की लागत से वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें 450 रोकबांधों और 150 रिचार्ज तालाबों का निर्माण किया जाएगा। निजी भूमि पर पेड़ लगानेवाली योजना, जो तमिलनाडु सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों के दौरान कार्यान्वित की गई थी, को राज्य के किसानों से अच्छी अनुक्रिया मिली है। कर्नाटक के मामले में इस वर्ष करीब 80,000 हेक्टेयर जमीन में अतिरिक्त वृक्षारोपण का प्रस्ताव है। पश्चिमी घाट विकास कार्य दल द्वारा जैव-ईंधन कार्यक्रम के तत्वावधान में 'लक्ष वृक्ष आंदोलन' के लिए अपेक्षित संख्या में पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए कर्नाटक के बजट में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष राज्य में चंदन की खेती, समृद्ध हरित ग्रामों और औषधीय पौधों के विकास पर अधिक जोर दिया जाएगा। कर्नाटक हुबली और कालाघाटकी के बीच की लगभग 2,000 एकड़ वन भूमि में एक वन्य जीव अभयारण्य विकसित करने की योजना बना रहा है। एक जैव ईंधन कार्य दल पर्यावरण के अनुकूल जैव संसाधनों से बनाए गए ईंधन का उपयोग करने के तरीकों के सुझाव द्वारा ऊर्जा की कमी की समस्या से निपटने के बारे में सलाह देगा। मिजोरम एक उपयुक्त तेल और प्राकृतिक गैस नीति बनाने के अलावा एक विस्तृत वन एवं मृदा-संरक्षण और प्रबंधन नीति तैयार करने की योजना बना रहा है, जबकि केरल ने मौजूदा वनों के चारों ओर एक हरा बफर जोन सृजित करने तथा मौजूदा वनों को सघन बनाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है।

हरियाणा में जंगलों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण और कृषि भूमि पर कृषि वनों को बढ़ावा दिया है तथा सामुदायिक और कृषि भूमि पर वनरोपण क्षेत्रों का विकास किया है। एक प्रमुख अभिनव पहल में, राज्य में लकड़ी पर आधारित उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति में बढ़ोतरी करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में 'क्लोनल एग्रो फारेस्ट्री' शुरू की गयी है ताकि छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिले। आम जनता की सक्रिय भागीदारी से हिमाचल प्रदेश का इरादा देश में पहला कार्बन तटस्थ राज्य बनना है जिसके लिए राज्य में 'पर्यावरण संरक्षण और कार्बन तटस्थता हेतु समुदाय प्रेरित पर्यावरण आकलन, जागरूकता, वकालत और कार्य योजना' शुरू की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में वन विभाग द्वारा 21 कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (सीएटी) प्लान कार्यान्वित किए जा रहे हैं तथा विस्तृत पादरोपण और भूसंरक्षण गतिविधियों के लिए अगले वर्ष हेतु 200 करोड़ रुपए से अधिक का कुल बजट प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने साझेदार गैर सरकारी संगठनों और अन्य लाभ न कमानेवाले संगठनों को 6000 वर्ग किलोमीटर की वनभूमि, जिसमें पर्याप्त वन नहीं हैं, में सामुदायिक वनीकरण गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई है। ऐसी भागीदारी वाली योजनाएं राज्यों को कार्बन क्रेडिट भी कमाकर दे सकती हैं। दिल्ली ने यमुना नदी से गाद निकालकर नदी को प्रदूषण से रोकने के लिए उपाय शुरू किए हैं और 'राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण' गठित करने की भी योजना बनाई है ताकि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। राज्यों द्वारा शुरू किए गए कुछ अन्य उपायों में शामिल हैं : (i) महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा उपकरणों पर कर रियायत, (ii) महाराष्ट्र, मेघालय और नागालैंड में वनीकरण एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु निधियों में वृद्धि, (iii) गोवा में खदानों और उद्योगों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का ढेर लगाने से रोकने के लिए भूमि पुनःपूर्ति और हरित पर्यावरण प्रभार लगाना।

राज्य स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की अनुपूर्ति के लिए और सक्रिय रूप से उनकी भागीदारी के संवर्धन के लिए सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन हेतु राज्यों को अनुदान दिए जा सकते हैं। इसके बदले में राज्य पारिस्थितिकी संसाधनों, वनीकरण और जैव विविधता के संरक्षण का उपयुक्त प्रबंधन करने के लिए स्थानीय समुदायों को अधिकार प्रदान कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कम कार्बन प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण को स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के बाद उन्हें विभिन्न राज्यों में इस्तेमाल करने के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वे राज्य जो विदेशी सहयोग या आंतरिक अनुसंधान और विकास के माध्यम से कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियां हासिल करते हैं और जहां ऐसी प्रौद्योगिकियों पर आधारित उद्योग हैं, वहां इन प्रयासों को जारी रखने और अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

संदर्भ :

1. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज, 2009-10।
2. प्रसाद, एच.ए.सी. और जे.एस.कोचर (2009). 'जलवायु परिवर्तन और भारत - कुछ प्रमुख मुद्दे और नीतिगत निहितार्थ', वर्किंग पेपर संख्या 2/2009, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय।

सारणी II.1 : राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत सुधार*

राज्य	मूल्य योजित कर (वैट) लागू	राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून (एफआरएल) अधिनियमित	नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) शुरू की	गारंटी पर अधिकतम सीमा लगायी	समेकित निक्षेप निधि (सीएसएफ)	गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ)
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	अप्रैल 2005	जून 2005	सितम्बर 2004	हां	हां	हां
2. अरुणाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	मार्च 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
3. असम	मई 2005	सितम्बर 2005	फरवरी 2005	हां	हां	नहीं
4. बिहार	अप्रैल 2005	अप्रैल 2006	सितम्बर 2005	नहीं	नहीं	नहीं
5. छत्तीसगढ़	अप्रैल 2006	सितम्बर2005	नवम्बर 2004	हां	हां	नहीं
6. गोवा	अप्रैल 2005	मई 2006	अगस्त 2005	हां	हां	हां
7. गुजरात	अप्रैल 2006	मार्च 2005	अप्रैल 2005	हां	हां	हां
8. हरियाणा	अप्रैल 2003	जुलाई 2005	जनवरी 2006	हां	हां	हां
9. हिमाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	मई 2003	नहीं	नहीं	नहीं
10. जम्मू और कश्मीर	अप्रैल 2005	अगस्त 2006	नहीं	नहीं	नहीं	हां
11. झारखंड	अप्रैल 2006	मई 2007	दिसंबर 2004	नहीं	नहीं	नहीं
12. कर्नाटक	अप्रैल 2005	सितम्बर 2002	अप्रैल 2006	हां	नहीं	नहीं
13. केरल	अप्रैल 2005	अगस्त 2003	नहीं	हां	हां	नहीं
14. मध्य प्रदेश	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2005	हां	नहीं	हां
15. महाराष्ट्र	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	नवम्बर 2005	नहीं	हां	नहीं
16. मणिपुर	जुलाई 2005	अगस्त 2005	जनवरी 2005	हां	हां	हां
17. मेघालय	अप्रैल 2006	मार्च 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
18. मिजोरम	अप्रैल 2005	अक्तूबर 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
19. नागालैंड	अप्रैल 2005	अगस्त 2005	नहीं	हां	हां	हां
20. उड़ीसा	अप्रैल 2005	जून 2005	जनवरी 2005	हां	हां	हां
21. पंजाब	अप्रैल 2005	अक्तूबर 2003	नहीं	हां	हां	नहीं
22. राजस्थान	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2004	हां	नहीं	नहीं
23. सिक्किम	अप्रैल 2005	नहीं	अप्रैल 2006	हां	हां	हां
24. तमिलनाडु	जनवरी 2007	मई 2003	अप्रैल 2003	हां	हां	नहीं
25. त्रिपुरा	अक्तूबर 2005	जून 2005	नहीं	नहीं	हां	नहीं
26. उत्तराखंड	अक्तूबर 2005	अक्तूबर 2005	अक्तूबर 2005	नहीं	हां	हां
27. उत्तर प्रदेश	जनवरी 2008	फरवरी 2004	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	नहीं
28. पश्चिम बंगाल	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं
जोड़	**28**	**26**	**19**	**17**	**20**	**11**

*: जनवरी 2010 के अंत की स्थिति।

स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों तथा रिजर्व बैंक के अभिलेखों से प्राप्त सूचना के आधार पर।

क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। यह कार्यबल पर्यटन, बागबानी, पुष्प उत्पादन, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य और रेशम उत्पादन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की पहचान और उनका सृजन भी करेगा। केरल ने तन्नीरमुक्कम बांध बंद करने की जरूरत कम करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से एक कृषि कैलेंडर तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है। एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार करने हेतु इसकी साध्यता एक अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है। केरल सरकार ने राज्य सरकार के स्तर पर समग्र प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु एक 'प्रशासनिक सुधार निगरानी आयोग' गठित किया है। असम ने अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए नीतियां निर्धारित करने तथा योजनाओं के समन्वय के लिए 'विकास परिषद' गठित करने का प्रस्ताव किया है। मेघालय ने राज्य में जन्म तथा मृत्यु के 100 प्रतिशत पंजीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक प्रणाली तैयार करने का प्रस्ताव किया है। तमिलनाडु सरकार ने 'जराचिकित्सा अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र' गठित करने हेतु कदम उठाए हैं।

2.12 योजना स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन में जनता की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, पश्चिम बंगाल द्वारा नगरपालिकाओं में 'वार्ड समितियां' गठित करने का प्रस्ताव है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उन लोगों को, जो अपनी जमीन उद्योगों की स्थापना के कारण खो चुके हैं, कार्य-उन्मुख प्रशिक्षण देने तथा अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रु पए की 'विशेष सहायता निधि' के सृजन का प्रस्ताव भी किया है। विपत्तिग्रस्त कलाकारों के कल्याण के लिए 'विशेष निधि' तैयार की गई है तथा असम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में किए गए नवोन्मेषों को पुरस्कृत करने के लिए 'प्रोत्साहन निधि' भी शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी तथा जम्मू और काश्मीर राज्यों ने अपने-अपने राज्यों के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं।

3. भारत सरकार

2.13 आर्थिक मंदी के प्रभाव से निपटने के लिए, राज्य सरकारों को 2009-10 के दौरान उनके जीएसडीपी के अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत तक उधार लेने की अनुमति दी गई है तथा इसके लिए एफआरएल के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को उनके जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत से शिथिल करके 4.0 प्रतिशत किया गया है। इससे राज्य सरकारों को चालू वर्ष में लगभग 21,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खुले बाजार उधार के रूप में जुटाने में मदद मिलेगी।

2.14 यद्यपि पश्चिम बंगाल के समुद्री तट पर आइला चक्रवात द्वारा हुए विध्वंस के लिए आपदा राहत कोष (सीआरएफ) से तत्काल अंतरिम राहत प्रदान किया गया है, केंद्र सरकार ने भी राज्य के क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव किया है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी बुनियादी ढांचे के महत्व पर राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। जेएनएनयूआरएम की भूमिका स्वीकार करते हुए इस योजना के तहत आबंटन को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, शहरी गरीबों को आवास तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर शहरी गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए राजीव आवास योजना (आरएवाइ) के तहत प्रावधानों में वृद्धि की गई है। महाराष्ट्र में, मुंबई में आनेवाली बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए 2007 में बृहन मुंबई तूफानी जल निकासी परियोजना (ब्रिमस्टोवा) शुरू की गई तथा परियोजना के लिए 1200 करोड़ रुपए की संपूर्ण अनुमानित लागत केंद्रीय सहायता के जरिए पूरी की जाएगी। असम में, केंद्र सरकार द्वारा गैस क्रैकर परियोजना के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जानी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाइ) के लिए आबंटन भी बढ़ाया जा रहा है। राज्यों में रोजगार-उन्मुख निर्यात क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए, केंद्र सरकार ने हथकरघा, हस्तशिल्प, दरी सहित वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा लघु एवं मझौले निर्यातकों के 7 क्षेत्रों के लिए पोतलदान-पूर्व ऋण पर 2 प्रतिशत का ब्याज परिदान उपलब्ध कराया गया है। ब्याज परिदान 31 मार्च 2010 तक लागू रखने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

2.15 चूंकि निर्यातों में कमी तथा देशी मांग पर वैश्विक वित्तीय संकट के अप्रत्यक्ष प्रभाव से सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम (एमएसएमई) काफी प्रभावित हुआ है, अतः यह प्रस्ताव है कि ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ) में से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को एक विशेष निधि उपलब्ध कराकर उचित दरों पर ऋण के प्रवाह को सुकर बनाया जाए। इससे राज्य सरकारों को मदद मिलेगी क्योंकि एमएसएमई के वृद्धिशील उधार के 50 प्रतिशत का पुनर्वित्तपोषण करके इससे एमएसएमई को उधार देने के लिए बैंकों तथा राज्य वित्त निगमों (एसएफसी) को प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को सफल माना गया है। 2008-09 के दौरान, इससे 4.47 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। इस योजना को कृषि, वानिकी, जलसंसाधन, भू-संसाधन एवं ग्रामीण सड़कों से संबंधित अन्य योजनाओं के साथ अभिसरित किया जाना है। पहले चरण में इस प्रकार के अभिसरण के लिए कुल 115 प्रायोगिक जिलों का चयन किया गया है।

2.16 ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को पाटने के लिए तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत निर्माण एक महत्वपूर्ण पहल है तथा इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाइ) तथा इंदिरा आवास योजना (आइएवाइ) सहित छः योजनाएं हैं। 2009-10 में भारत निर्माण योजना के लिए आबंटन में 45 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। ग्रामीण आवास की गति बढ़ाने के लिए, वाणिज्य बैंकों के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार

में रह गयी कमी में से 2000 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) में ग्रामीण आवास निधि के लिए करने का प्रस्ताव है।

2.17 राज्यों में उन 1000 गांवों के समन्वित विकास के लिए प्रायोगिक आधार पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाइ) शुरू की जा रही है, जहां अनुसूचित जाति की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है। प्रत्येक गांव को ग्रामीण विकास और गरीबी निवारण योजनाओं के तहत आबंटित राशि के ऊपर 10 लाख रुपए का अंतराल निधीयन उपलब्ध होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ) की पुनर्रचना राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के रूप में की जा रही है ताकि इसे सर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सके, दृष्टिकोण पर फोकस किया जा सके तथा समयबद्ध रूप से 2014-15 तक गरीबी उन्मूलन किया जा सके। बढ़ी हुई दर पर पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करने के अलावा, बैंकों से 1 लाख रुपए तक के ऋण के लिए गरीब परिवारों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। महिलाओं का स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रूपांतरण ला रहा है। अगले 5 वर्षों में एसएचजी के सदस्यों के रूप में भारत में सभी ग्रामीण महिलाओं के कम से कम 50 प्रतिशत का नामांकन करने का लक्ष्य है तथा इन एसएचजी को बैंकों से सम्बद्ध किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला कोष गरीब महिलाओं को ऋण समर्थन अथवा सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहा है तथा उनके लाभ के लिए कई नवोन्मेष योजनाएं तैयार की गई हैं। सामाजिक आर्थिक बदलाव तथा विकास के साधन के रूप में इसकी भूमिका को स्वीकार करते हुए, अगले कुछ वर्षों में इस कोष की मूल राशि बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दी जाएगी। चूंकि महिला साक्षरता का निम्न स्तर चिंता का विषय है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि अगले 3 वर्षों में महिला असाक्षरता के वर्तमान स्तर को कम कर आधा करने के लिए एक राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य सीमांत समूहों पर फोकस किया जाएगा। जहां तक बच्चों के विकास का संबंध है, सरकार समन्वित बाल विकास सेवाओं (आइसीडीएस) के सार्वभौमीकरण के प्रति वचनबद्ध है तथा मार्च 2012 तक छः साल से कम आयु के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्वक आइसीडीएस के तहत आने वाली सभी सेवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

2.18 शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए, अधिस्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी देने के लिए एक योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इसमें भारत की मान्यताप्राप्त संस्थाओं से तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में अध्ययन के लिए किसी अनुमोदित पाठ्यक्रम का अनुसरण करने हेतु अनुसूचित बैंकों से ऐसे छात्रों द्वारा लिए गए ऋण शामिल होंगे। अनुमान है कि 5 लाख से अधिक छात्र इसका लाभ उठाएंगे। चुनिंदा अल्पसंख्यक संकेंद्रण जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, मौलाना आज़ाद एज्यूकेशन फाउंडेशन को सहायता अनुदान दुगुना कर दिया गया है, तथा अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व तथा मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्तियों तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के लिए प्रावधान किए गए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से छात्रों को राष्ट्रीय फेलोशिप तथा राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद को सहायता अनुदान की नई योजनाओं के लिए भी आबंटन किए गए हैं। गतिशील आर्थिक लाभ उठाने के लिए तथा सही शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए, 'आइसीटी के जरिए शिक्षा का मिशन' के तहत किए गए प्रावधान में काफी वृद्धि कर उसे 900 करोड़ रुपया कर दिया गया है। इसी तरह, कौशल विकास मिशन के तहत पॉलिटेक्निक्स की स्थापना और उनके उन्नयन के लिए किए गए प्रावधान को भी बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार की योजना है कि निधियां आबंटित कर प्रत्येक असमाविष्ट राज्य में एक केंद्रीय विश्व विद्यालय बनाया जाए। नए आइआइटी तथा एनआइटी के लिए 450 करोड़ रुपए के प्रावधान सहित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइटी) के लिए 2,113 करोड़ रुपए का अलग आबंटन किया गया है। उच्चतर शिक्षा के लिए समग्र योजना बजट में अंतरिम बजट अनुमानों पर 2,000 करोड़ रुपए की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

2.19 स्वास्थ्य के क्षेत्र में, 'सभी के लिए स्वास्थ्य' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) एक आवश्यक साधन है। इस योजना के तहत आबंटन में अंतरिम बजट में किए गए 12,070 करोड़ रुपए के प्रावधान के ऊपर 2,057 करोड़ रुपए की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

2.20 असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रति, जो रोजगार का 92 प्रतिशत है तथा श्रमशक्ति में वार्षिक वृद्धि के

एक बड़े हिस्से को अवशोषित करता है, संसद के दोनों सदनों ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 पारित किया है। बुनकरों, मछुवारों एवं मछुवारिनों, ताड़ी निकालने वालों, चमड़ा और हस्तशिल्प कारीगरों, प्लांटेशन श्रमिकों, निर्माण मज़दूरों, खान कामगारों, बीड़ी कामगारों तथा रिक्शाचालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है।

2.21 पिछले साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाइ) शुरू की गई और इसके प्रति आरंभिक अनुक्रिया काफी उत्साहवर्धक रही और 18 राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 46 लाख से अधिक परिवारों को बॉयोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी किए गए। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी परिवारों को शामिल करने का सरकार का प्रस्ताव है।

2.22 पिछले साल वाराणसी एवं शिवसागर में दो बड़े हथकरघा क्लस्टरों तथा ईरोड एवं भिवंडी में दो बड़े पावरलूम क्लस्टरों के सफल कार्यान्वयन के अनुरूप, यह प्रस्ताव है कि पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु में से प्रत्येक में एक हथकरघा का बड़ा क्लस्टर तथा राजस्थान में एक पावरलूम का बड़ा क्लस्टर लगाया जाए। इससे इन राज्यों में वस्त्र की परंपराओं को परिरक्षित रखने में मदद मिलेगी और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यह भी प्रस्ताव है कि श्रीनगर (जम्मू और काश्मीर) तथा मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में दरियों के लिए नये बड़े क्लस्टर स्थापित किए जाएं।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक

भारत सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी की प्रक्रिया

2.23 जैसा कि अक्तूबर 2008 की मध्यावधि समीक्षा में दर्शाया गया है, अंतरिक कार्यदल (अध्यक्षः एच.आर. खान) द्वारा रिज़र्व बैंक को शामिल करते हुए की गई सिफारिशों, यथा बोली प्रस्तुत करने और नीलामी के परिणाम घोषित करने के बीच के समयांतराल को कम करने, का कार्यान्वयन पहले ही किया जा चुका है। भौतिक रूप में बोली लगाने की सुविधा समाप्त करने तथा प्रतिस्पर्धी बोलियां सिर्फ वार्तातय निपटान प्रणाली (एनडीएस) के माध्यम से प्रस्तुत करने संबंधी कार्यदल की अन्य सिफारिशों का कार्यान्वयन 25 अगस्त 2009 से किया गया है।

राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की नीलामी में गैर प्रतिस्पर्धी बोलियां

2.24 निवेशक आधार को व्यापक बनाने तथा राज्य विकास ऋणों की तरलता बढ़ाने के लिए, एसडीएल की नीलामी में गैर प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की एक योजना को सभी राज्य सरकारों ने 20 जुलाई 2007 को अधिसूचित किया। अक्तूबर 2008 की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के बाद, एसडीएल की नीलामी में गैर प्रतिस्पर्धी बोली के संचालन के लिए अपेक्षित आवश्यक प्रणालीगत परिवर्तन भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) द्वारा विकसित एनडीएस नीलामी प्लाटफार्म में किए गए हैं। 25 अगस्त 2009 को हुई नीलामी से एसडीएल में गैर प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की सुविधा प्रदान की गई है।

एसडीएल के निर्गम में सन्निहित डेरिवेटिव विकल्प

2.25 एसडीएल के निर्गम में सन्निहित डेरिवेटिव विकल्प लागू करना मूल्य संबंधी खोज तथा राज्यों की उधार लागत कम करने का एक अभिनव तरीका है। अतः 15 दिसंबर 2003 को राज्य सरकारों द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना में प्रावधान किए गए, जिससे उन्हें अधिसूचना के खंड 7 तथा 8.2 के अनुसार काल/पुट विकल्प के साथ एसडीएल जारी करने में मदद मिली। पश्चिम बंगाल की सरकार ऐसी पहली राज्य सरकार थी जिसने पहली बार सितंबर/अक्तूबर 2009 के दौरान हुई नीलामियों की तीन शृंखलाओं में पुट विकल्प के साथ एसडीएल जारी करने के विकल्प का उपयोग किया। इस पुट विकल्प का उपयोग निवेशकर्ता पहली दो शृंखलाओं के लिए चार वर्ष तथा तीसरी शृंखला के लिए पांच वर्ष पूरे होने के बाद कर सकेंगे। पुट विकल्प के तहत, सरकारी स्टॉक रखने वालों के पास सरकारी स्टॉक के निर्गम की तारीख से विकल्प की अवधि पूरी होने के बाद उसके बाद भुगतानयोग्य किसी भी ब्याज भुगतान पर समय - पूर्व मोचन के लिए निर्धारित फार्मेट में दो महीने की सूचना देकर पुट विकल्प का प्रयोग करने का विवेकाधिकार होगा। उस स्थिति में, समय-पूर्व मोचन की ब्याज भुगतान तारीख से मोचित सरकारी स्टॉक पर ब्याज प्रोद्भूत होना बंद हो जाएगा। तथापि पुट विकल्प के साथ एसडीएल जारी करने से सरकारों को समय-पूर्व मोचन संबंधी जोखिम उठानी पड़ती है, जिससे रोल ओवर संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकती है।

5. निष्कर्ष

2.26 समष्टि आर्थिक गतिविधियों के चारों ओर मौजूद अनिश्चितता तथा इसके प्रभाव को न्यूनतम करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, 2009-10 के राज्य बजटों में सार्वजनिक खर्च बढ़ाने पर फोकस किया गया है। विशेष रूप से राज्य वित्त के परिचालन में स्वचालित स्थिरकारी तत्वों के अपेक्षाकृत कमजोर होने के साथ, प्रभावित क्षेत्रों एवं समाज के वर्गों के समाधान के लिए और इस प्रकार के निवेश बढ़ाने के लिए, जिनसे न सिर्फ अल्पावधि में मांग बढ़ेगी अपितु दीर्घावधि में वृद्धि में भी बढ़ोत्तरी होगी, एक अधिक चयनात्मक विवेकाधीन राजकोषीय नीति का उपयोग किया गया है। प्रस्तावित पहलों के भीतर, व्यय तथा कर कटौतियों का मिश्रण समग्र समष्टि आर्थिक मूलभूत तत्वों पर उनके प्रभाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण होगा क्योंकि प्रस्तावों के अंतर्गत बुनियादी ढांचा, उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। तथापि, विस्तारकारी नीतियों की त्वरित प्रतिवर्तिता के साथ यथाशीघ्र राजकोषीय सुधार के मार्ग की ओर वापस लौटने की वचनबद्धता महत्वपूर्ण है।